"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 307] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2013—आषाढ़ 26, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 26, 1935)

क्रमांक-8854/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 31 सन् 2013) जो बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 31 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2013

विषय-सूची

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 31 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2013

निजी नियोजन अभिकरण के विनियमन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2013 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अध्याय-तीन के अंतर्गत अपील की सुनवाई हेतु राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी;

(ख) "नियंत्रण प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अन्तर्गत नियुक्त नियंत्रण प्राधिकारी;

(ग) "घरेलू कर्मकार" से अभिप्रेत है, निजी नियोजन अभिकरण के माध्यम से किसी परिवार में घरेलू कार्य करने के लिये संबद्ध व्यक्ति;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, धारा 5 के अन्तर्गत प्रदान की गई अनुज्ञप्ति;

(च) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(छ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ज) "निजी नियोजन अभिकरण" से अभिप्रेत है, व्यक्ति या शासकीय अभिकरण से भिन्न व्यक्तियों का निकाय, विभाग या छत्तीसगढ़ के सीमा से परे घरेलू कर्मकार के रूप में किसी महिला को कार्य प्रदान करने के व्यवसाय से संबद्ध संगठन;

(झ) "महिला" से अभिप्रेत है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 10 के अधीन यथा परिभाषित महिला.

(2) ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन परिभाषित है.

अध्याय-दो
नियंत्रण प्राधिकारी और अनुज्ञप्ति

नियंत्रण प्राधिकारी की नियुक्ति.

3. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में, किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, जो अनुविभागीय दण्डाधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो; और

(ख) सीमाओं को परिभाषित करेगा, जिसके भीतर नियंत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा.

व्यक्ति या निजी नियोजन अभिकरण बिना अनुज्ञप्ति के संचालित नहीं होंगे.

4. कोई व्यक्ति या निजी नियोजन अभिकरण, निजी नियोजन अभिकरण के कारोबार का संचालन या प्रारंभ तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता है:

परन्तु निजी नियोजन अभिकरण, जो इस अधिनियम की अधिसूचना के पूर्व अस्तित्व में आया है, इस अधिनियम की अधिसूचना के नब्बे दिवस के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा.

अनुज्ञप्ति प्रदाय करने तथा नवीनीकरण के लिये आवेदन.

5. (1) धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप एवं रीति में, जैसा कि विहित किया जाये एवं पांच हजार रुपये के शुल्क एवं एक लाख रुपये की बैंक गारण्टी सहित प्रस्तुत किया जायेगा.

(2) नियंत्रण प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के संबंध में, ऐसी जांच कर सकेगा तथा ऐसी जांच करने में, नियंत्रण प्राधिकारी, ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, जैसी कि विहित की जाये.

(3) अनुज्ञप्ति, ऐसी शर्तों पर एवं ऐसे निर्बंधनों पर जारी की जायेगी, जैसा कि विहित किया जाये.

(4) इस धारा के अधीन जारी अनुज्ञप्ति, पांच वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी तथा, ऐसे शुल्क के भुगतान और ऐसी शर्तों पर नवीनीकृत की जा सकेगी, जैसे कि समय-समय पर विहित की जायेगी.

अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण एवं निलंबन.

6. (1) यदि नियंत्रण प्राधिकारी, इस संबंध में या अन्यथा उसको दिए गये निर्देश पर, संतुष्ट हो जाता है कि—

(क) धारा 4 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति, दुर्व्यपदेशन या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अभिप्राप्त की गई है; या

(ख) यह कि अनुज्ञप्तिधारी, युक्तियुक्त कारण के बिना, शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा है अथवा उसने इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, तो किसी अन्य शास्ति, जो अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के अधीन दायी होता, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियंत्रण प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा अथवा उसके द्वारा या उसकी ओर से धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत बैंक गारण्टी को समपहृत कर सकेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को आदेश की सूचना देगा:

परंतु जहां नियंत्रण प्राधिकारी को लगता है कि विशेष कारणों से ऐसा करना आवश्यक है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे समपहरण के प्रतिसंहरण को लंबित रखते हुए, ऐसी कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति को निलंबित रख सकेगा, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जाये तथा अनुज्ञप्तिधारी पर, ऐसा आदेश, रजिस्टर्ड डाक द्वारा तामिल कर सकेगा.

(2) किन्हीं नियमों, जो कि इस निमित्त बनाये जा सकते हैं, के अध्यधीन रहते हुए, नियंत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति में परिवर्तन या संशोधन कर सकेगा.

अध्याय-तीन
अपील

अपील.

7. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 5 या 6 के अधीन नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर, ऐसे प्ररुप तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु 30 दिवस की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात्, अपील ग्राह्य की जा सकेगी यदि अपीलार्थी, अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि उसके पास, उस कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण है.

(2) अपील के निराकरण के पूर्व, अपीलीय प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा.

अध्याय-चार
निजी नियोजन अभिकरण के कृत्य और दायित्व

निजी नियोजन अभिकरण के कृत्य एवं दायित्व.

8. (1) निजी नियोजन अभिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के परे किसी महिला को ले जाने की तारीख से सात दिवस के भीतर, घरेलू कर्मकार के नियोजन की विस्तृत जानकारी, नियंत्रण प्राधिकारी, को प्रस्तुत करेगा.

(2) निजी नियोजन अभिकरण, किसी घरेलू कर्मकार से कोई भी शुल्क, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, नहीं लेगा.

(3) निजी नियोजन अभिकरण, किसी महिला को, यदि वह अठारह वर्ष की आयु से कम हो, नियोजित संबद्ध या अभिनियोजित नहीं करेगा.

(4) प्रत्येक निजी नियोजन अभिकरण, अपने कार्यालय के बाहर, निजी नियोजन अभिकरण का नाम तथा अपना अनुज्ञप्ति क्रमांक दर्शित करने वाली नाम पट्टिका प्रदर्शित करेगा.

(5) प्रत्येक निजी नियोजन अभिकरण, ऐसे घरेलू कर्मकार, जो उसके द्वारा संलग्न हों, के नाम एवं पते तथा ऐसे व्यक्तियों के भी नाम एवं पते, जहां महिला कर्मकार को नियोजित किया गया है, को अंतर्विष्ट करते हुए एक पंजी संधारित करेगा.

(6) निजी नियोजन अभिकरण के अन्य कृत्य एवं दायित्व ऐसे होंगे, जैसा कि विहित किया जाये.

अध्याय-पांच
अपराध एवं शास्तियां

कतिपय प्रावधानों का उल्लंघन करने हेतु दण्ड.

9. (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8 या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के प्रावधानों या अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

अध्याय-छ:
प्रकीर्ण

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) का लागू होना.

10. किसी तलाशी या जप्ती के संबंध में, जहां तक हो सके, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के प्रावधान, इस अधिनियम के अधीन किसी तलाशी या जप्ती को लागू होंगे.

किसी अन्य विधि के अतिरिक्त इस अधिनियम का होना.

11. यह अधिनियम तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगा और उनका अल्पीकरण नहीं करेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

12. (1) राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगा.

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं विषयों के लिये उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन जारी किये जाने वाले अनुज्ञप्ति का प्ररुप एवं रीति;

(ख) धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन जांच का संपादित किया जाना;

(ग) निर्बंधन एवं शर्तें, जिसके अध्यधीन ऐसी अनुज्ञप्ति धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन जारी की जायेगी;

(घ) धारा 5 की उप-धारा (4) के अधीन नवीनीकरण का शुल्क एवं शर्तें;

(ङ) धारा 6 के अधीन अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण तथा निलंबन;

(च) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अपील का प्ररुप एवं रीति;

(छ) धारा 8 की उप-धारा (6) के अधीन निजी नियोजन अभिकरण के अन्य कृत्य एवं दायित्व;

(ज) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो.

(3) इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम, इसके निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर, जब सत्र कुल 30 दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो उत्तरवर्ती सत्र में पूरी हो सकती हो तथा सत्र जिसके पटल पर रखा जाना हो या ठीक आगामी सत्र के अवसान के पूर्व, रखा जायेगा, यदि सदन नियम में कोई उपांतरण करने हेतु सहमत होता है अथवा सदन सहमत होता है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तथा ऐसा विनिश्चय राजपत्र में अधिसूचित करता है तो ऐसा नियम, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा, तथापि, ऐसा उपांतरण या विलोपन, उस नियम के अधीन पूर्व में किए गये किसी कार्य की विधिमान्यता या किये गये विलोपन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

13. इस अधिनियम के अधीन नियंत्रण प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी कार्यवाही के लिए, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण.

14. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, संज्ञेय और अजमानतीय होंगे.

अपराधों का संज्ञान.

15. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो तो राज्य शासन, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसा नियम, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, बना सकेगा, जो कि कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक हो:

कठिनाईयों के निराकरण की शक्तियां.

परंतु ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात्, नहीं किया जाएगा.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत से जिलों विशेष कर जशपुर, सरगुजा एवं रायगढ़ से महिलाओं को अन्य राज्यों में घरेलू कामगारों के रूप में काम दिलाने के लिए निजी नियोजन अभिकरणों और इनके अभिकर्ताओं द्वारा प्रलोभित करने की बहुप्रकाशित घटनाओं के कारण विद्यमान विधेयक की आवश्यकता हुई है.

राज्य में घरेलू कामगारों पर हो रहे निरंतर अत्याचार के कारण इन निजी नियोजन अभिकरणों, जो घरेलू सहायता के मजदूरों के आर्थिक शोषण एवं भावनात्मक आघात में लिप्त हैं, के क्रियाकलापों को विनियमित करने की आवश्यकता हुई है.

नियोजकों द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाना, शारीरिक एवं यौन शोषण करना जैसी सूचनायें सामान्यत: प्राप्त होती है. बहुधा निजी नियोजन अभिकरणों द्वारा बाहर ले जायी गई महिलायें बाद में गुमशुदा अथवा लापता हो जाती हैं. इसलिए निजी नियोजन अभिकरणों के क्रियाकलापों को विनियमित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है.

इस विधेयक का उद्देश्य निजी नियोजन अभिकरणों को परिभाषित, विनियमित और अनुज्ञापन के लिए प्रावधान करना तथा अनुज्ञा को निलंबित, प्रतिसंहृत एवं जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान करना है. विद्यमान विधेयक में अपंजीकृत एवं गैरविनियमित नियोजन अभिकरणों के द्वारा महिलाओं के दुर्व्यापार को भी निवारित करने की व्यवस्था है.

इस विधेयक में पूर्वोद्धरित विभीषिका के निवारण तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की व्यवस्था है.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (3), अनुच्छेद 42 सहपठित सातवीं अनुसूची के द्वितीय सूची की प्रविष्टि क्रमांक 26 के अंतर्गत राज्य विधायिका इस विधि को पारित करने हेतु समर्थ है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 16 जुलाई, 2013

ननकीराम कंवर
गृह मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायिका शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड 1 (3)	अधिनियम के प्रवृत्त होने का तिथि सुनिश्चित किये जाने.
खण्ड 2 (1) (क)	अपील की सुनवाई हेतु राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी की नियुक्ति.
खण्ड 3	अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियंत्रण प्राधिकारी की नियुक्ति किये जाने.
खण्ड 5 (1)	अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु प्ररूप एवं रीति विहित किये जाने.
(2)	नियंत्रण अधिकारी द्वारा ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करना जैसा कि विहित की जाये.
(3)	अनुज्ञापन के नवीनीकृत करने हेतु प्रक्रिया विहित की जाने.
खण्ड 7 (1)	अपील की प्रक्रिया विहित किये जाने.
खण्ड 12 (1)	अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बनाये जाने.
खण्ड 15	अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में उत्पन्न कठिनाई दूर करने.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.